न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 49/2021
प्रविष्टि दिनांक 11.08.2021

राजयोगेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज0

--अपीलान्ट

बनाम

1–जिला रसद अधिकारी टोंक राज0
2–राजस्थान राज्य जरिए जिला रसद अधिकारी टोंक राज0

--रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी टोंक दिनांक 22.04.2021 प्रकरण सं0 56/20 एंव 01/2021 उनवान राजस्थान सरकार बनाम राजराजेश्वर सिंह

उपस्थितिः–1.श्री विक्रम जैन, अभिभाषक –अपीलान्ट की ओर से
2.श्री रामभजन मीणा पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.06.2022

अपील अपीलान्ट सांराश में इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक निवाई की जॉच रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 22.04.2021 के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य की दूकान झिलाय में अनियमितताऐं पाये जाने के कारण अपीलान्ट की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/रूपये जप्त सरकार करने का आदेश पारित किया है। इस आदेश से अपीलान्ट अप्रसन्न होकर उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर एक पक्षीय रूप से उक्त आदेश पारित किया गया है। सीडिंग कार्य के सम्बन्ध मे जो नोटिस अपीलांट को जारी किया गया था ,वह विधि विरूद्ध [illegible] अपीलांट द्वारा नियमानुसार अपने पूर्ण प्रयासो से सीडिंग कार्य किया जा रहा [illegible] अपीलांट द्वारा 273 आधार कार्ड, राशन कार्ड धारको के घर–घर जाकर एकत्रित कर [illegible] करवाया गया है,किन्तु कुछ उपभोक्ताओ द्वारा अपीलांट [illegible] राशन कार्ड [illegible] नही करवाये गये,उनके राशन कार्ड प्राप्त नही होने के कारण [illegible] कुछ [illegible] सीडिंग करवाने योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

थे,जिसकी सूचना अपीलांट ने वाट्सअप के जरिये भिजवाये गई थी,परन्तु वह नाम भी डिलीट नही हो पाये थे। इस कारण शेष लोगो की सीडिंग का कार्य लम्बित था। अपीलांट की कोई लापरवाही नही थी । अपीलांट अपनी क्षमता के अनुसार सीडिंग कार्य करने मे लगा हुआ था,परन्तु तकनीकी आधार पर शेष लोगो का सीडिंग कार्य नही हो पा रहा था। कुछ लोगो के आधार कार्ड बने हुए नही थे,क्योकि उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी अंगूठा निशानी नही आने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहे थे और कुछ लोगो की आधार कार्ड स्लीप खो जाने के कारण सीडिंग का कार्य अटका हुआ था,जिसमे अपीलांट की कोई गलती नही थी।

अपीलांट को विधि विरूद्व तरीके से नोटिस प्रेषित किया गया है और राजनैतिक द्वेषतावश अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलांट की दुकान पर 12 क्विंटल गेहू भी अधिक नहीं पाया गया है। अपीलांट से सीडिंग कार्य मे आ रही तकनीकी त्रुटि के कारण विभाग के कर्मचारी द्वेषंता रखे हुए थे और विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट को 12 क्विंटल गेहू अधिक पाये जाने के सम्बन्ध मे नोटिस प्रेषित किया गया है। अपीलांट की दुकान का विधि अनुसार भोतिक सत्यापन नही किया गया है । अपीलांट की दुकान में मौजूद बोरियो को तोला नही गया है और प्रत्येक बोरी को तोलकर उसका वजन नही लिखा गया है और विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट की दुकान मे 12 क्विंटल गेहू अधिक होना बताये गये है। अपीलांट की दुकान मे आवंटन के अनुसार उतना ही गेहू था,जितना उसके स्टॉक रजिस्टर मे था । वास्तविकता मे आरएफसी के कट्टे फटे हुए होने के कारण कई बार गेहू को बचाने हेतु अन्य कट्टो मे भरना होता है। कट्टो की गिनती भी बाहर निकालकर नही की गई है ।

अपीलांट की दुकान छोटी है और अपीलांट ने उसमे गेहू अपनी सुविधा के अनुसार जमा कर रखा हुआ था,जॉच अधिकारी को भौतिक सत्यापन करना था तो प्रत्येक बोरी को निकालकर उसका वजन लेना था और उसका एक चार्ट तैयार करना था,परन्तु ऐसा कोई कार्य जॉच अधिकारी द्वारा नही किया गया है। उचित मुल्य की दुकान पर कोई अनियमितता पायी जाती तो उसी समय माल जप्त कर लिया जाता, जबकि मौके पर कोई माल जप्त नही किया गया है, ना ही किसी अन्य दुकान में अटेच करवाया गया है। जांच अधिकारी ने अपीलांट के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। उन्होने अपीलांट को कहा था कि मौके पर सीडिंग कार्य की जॉच करने आये है,इस बाबत मौका रिपोर्ट बनवानी है और रिपोर्ट हम ऑफिस में जाकर बना लेगे और इस प्रकार उन्होने अपीलांट के खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये गये है। सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची का भी अंकन था, लेकिन सूचना बोर्ड को बच्चो द्वारा मिटा दिया जाता है, खाद्य सुरक्षा सूची भी जब बच्चे बाहर खेलते है तो कई बार खेल–कूद मे फाड देते है। अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गई है । जिला रसद अधिकारी ने उक्त आदेश अपीलांट को साक्ष्य सबूत एंव अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना ही विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है । आदेश 1976 के नियम 8 (2) यह कहता है कि No Order Of Cancellation shall be made under this order unless the authorisation holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation

" अर्थात उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलांट का उक्त लाईसेंस [illegible] करने से पूर्व युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था । उक्त प्रावधान [illegible] प्रावधान है [illegible] की पालना जिला रसद अधिकारी द्वारा नही की गई है । तथाकथित शिकायतकर्ताओ को भी प्रवर्तन निरीक्षक ने न्यायालय जिला रसद अधिकारी टोंक के समक्ष पेश नही किया है । तथाकथित शिकायतकर्ताओ से जिरह करने का भी अपीलांट को अवसर प्रदान नही किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

गया है। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रर्वतक निरीक्षक के बयान [illegible] प्रकरण मे लेखबद्ध नही हुए है और ना ही प्रर्वतक निरीक्षक से जिरह [illegible] प्रदान किया गया है। राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक प्रदार्थ ([illegible]) आदेश 1976 की धारा 8 व 9 दण्डात्मक धारा है । उक्त दण्डात्मक धाराओं में [illegible] को साबित करने के लिये सन्देह से परे साक्ष्य पेश होनी चाहिये थे,जो पेश नही किये गये है। जिला रसद अधिकारी ने मात्र राजनैतिक दबाव के कारण अपीलांट का लाईसेंस निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2021 को निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा अपीलांट (दुकान पोस कोड नं ० 2670) के विरूद्ध दिनांक 23.12.2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि अपीलांट को बार–बार निर्देशित करने पर भी उसके द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में सीडिंग कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है,तथ्यों के सत्यापन हेतु पुनःप्रवर्तन निरीक्षक निवाई से रिपोर्ट ली गयी। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 को प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि अपीलांट को 487 आधारकार्ड सीडिंग करवाने थे जिसमें से उसके द्वारा 273 अर्थात 56.06 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य किया गया। अपीलांट की दुकान का खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के जांच दल द्वारा दिनांक 01.09.2020 को निरीक्षण करने पर अपीलांट की दुकान मे भौतिक सत्यापन में 12 क्विंटल गेहूं अधिक पाये गये। वक्त निरीक्षण गोदाम मे कट्टे व्यवस्थित रखने की सुविधा नहीं पायी गयी। दुकान में शिकायत पुस्तिका नहीं पायी गयी। दुकान में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची,स्टॉक का विवरण एवं लाभार्थियों की राशन पात्रता का विवरण नहीं पाया गया। मौके पर निरीक्षण दल को अपीलांट द्वारा स्टॉक की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया।

अपीलांट द्वारा समयबद्ध रूप से पूर्ण सीडिंग करवाने के प्रयास नहीं किया गया , सीडिंग मात्र 59.06 प्रतिशत ही करवायी गयी एवं खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के जांच दल द्वारा दुकान के किये गये निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता का अपीलांट द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । इस प्रकार अपीलांट द्वारा राजकीय निर्देशों की पालना नहीं करना गम्भीर अनियमितता है एवं खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के जांच दल द्वारा किये गये निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना है तथा अपीलांट (डीलर) द्वारा गबन नही किया गया है। अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने प्राधिकार पत्र कि शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 23.12.2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि अपीलांट को बार–बार निर्देशित करने पर भी उसके द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में सीडिंग कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है,तथ्यों के सत्यापन हेतु पुनःप्रवर्तन निरीक्षक निवाई से रिपोर्ट ली गयी। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 को प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि अपीलांट को 487 आधारकार्ड सीडिंग करवाने थे जिसमें से उसके द्वारा 273 अर्थात 56.06 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य किया गया। अपीलांट की दुकान का खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

जांच दल द्वारा दिनांक 01.09.2020 को निरीक्षण करने पर अपीलांट की दुकान में भौतिक सत्यापन में 12 क्विंटल गेहूं अधिक पाये गये। वक्त निरीक्षण गोदाम में कट्टे व्यवस्थित रखने की सुविधा नहीं पायी गयी। दुकान में शिकायत पुस्तिका नहीं पायी गयी। दुकान में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची,स्टॉक का विवरण एवं लाभार्थियों की राशन पात्रता का विवरण नहीं पाया गया।

अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट द्वारा 273 आधार कार्ड, राशनकार्ड धारको के घर–घर जाकर एकत्रित कर सीडिंग कार्य करवाया गया है। तकनीकी आधार पर शेष लोगो का सीडिंग कार्य नही हो पा रहा था। कुछ राशनकार्डधारियो की उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी अंगूठा निशानी नही आने के कारण आधारकार्ड नहीं बन पा रहे थे। अपीलांट की दुकान का विधि अनुसार भोतिक सत्यापन नही किया गया है । सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची का भी अंकन था, लेकिन सूचना बोर्ड को बच्चो द्वारा मिटा दिया जाता है,खाद्य सुरक्षा की सूची भी जब बच्चे बाहर खेलते है तो कई बार खेल–कूद मे फाड देते है।

जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय मे उल्लेख किया है कि डीलर द्वारा मौके पर खाद्य एंव सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के जांच दल द्वारा दिनांक 01.09.2020 को निरीक्षण करने पर जांच अधिकारी को स्टॉक की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया,जबकि नियमानुसार जॉच अधिकारी को भौतिक सत्यापन करते समय डीलर से स्टॉक रजिस्टर प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर मे दर्ज सामग्री का मिलान करना चाहिये था और प्रत्येक कट्टे को बाहर निकालकर उसका वजन लेना था और उसका एक चार्ट तैयार करना था,परन्तु ऐसा कोई कार्य जॉच अधिकारी द्वारा नही किया गया है। मौके पर कोई माल जप्त नही किया गया है, ना ही किसी अन्य दुकान में अटेच करवाया गया है। पेरोकार सरकार ने दोराने बहस अपीलांट (डीलर) द्वारा गबन नही किया जाना स्वीकार किया है। जिला रसद अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2021 मे अपीलांट (डीलर) का नाम श्री राजराजेश्वर सिंह अंकित किया है,जबकि पत्रावली मे पत्राचार श्री राजयोगेन्द्र सिंह के नाम से किया गया है। उपरोक्त विवेचन से जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का निर्णय दिनांक 22–04–2021 अपास्त किया जाता है एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड की जांच कर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक राजस्थान

(...गोपाल)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:20 IST
Reason: SelfAttested